

निदेशक का कार्यालय
पूर्वी मुद्रण वर्ग
14, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता-700016 (प०ब०)
दूरभाष सं०: 033-22876950
फैक्स सं०: 033- 22834694
ई-मेल: epg.kol.soi@gov.in



OFFICE OF DIRECTOR
Eastern Printing Group,
14, Wood Street
Kolkata-700016 (W.B.)
Phone No. 033- 22876950
Fax No. 033- 22834694
E-mail: epg.kol.soi@gov.in

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 04 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 10-05-2018

EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. /37-G-15(EPGRO) DATED -05-2018

I. सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

सर्वश्री देवी शंकर बनर्जी, प्रिंटर डाउन ग्रेड-II, अंजन कुमार चक्रवर्ती, फोटोग्राफर ग्रेड-II, अविजित राय, तकनीकी क्लर्क ग्रेड-II एवं मो० अजीजुर रहमान, फोटोग्राफर ग्रेड-II को सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल 6 में 26-04-2018 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

S/shri Debi Sankar Banerjee, Printer Dn Gde-II, Anjan Kumar Chakraborty, Photographer Gde-II, Avijit Roy, Technical Clerk Gde-II and Md. Azizur Rahaman, Photographer Gde-II are hereby promoted to the post of Senior Reprographer on regular basis with effect from 26-04-2018 in the Pay-matrix Level-6.

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Govt. Servant.

2. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

They are required to exercise an option under Rule F.R. 22(I)(a)(1) for fixation of pay on their promotion.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के लिए वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : महासर्वेक्षक का पत्र सं०सी-744/972 दिनांक 13-02-2018 एवं सी-2655/972 दिनांक 26-04-2018)

II. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिव०-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप

Contd..P/2.

'सी' स्थापना में (डिविजन-II एवं डिविजन I (डिव० II से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री दीपेश दास	भण्डार पाल ग्रेड-II	30-06-2017

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promoted from Division-II) of this Directorate is granted Second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-7 with effect from the date as mentioned against his name :-

Sl. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Dipesh Das	Store Keeper Gde-II	30-06-2017

उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial Upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Govt. Servant.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-19 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-19 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-2634/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०)दिनांक 26-04-18)

अरिन कुमार दत्ता

(अरिन कुमार दत्ता)

प्रबन्धक (कनिष्ठ)

निदेशक (सामयिक कार्यभार)

वितरण :-

- | | | |
|--|---|--------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ। 2. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ। 3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता। 4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा नेशनल जी०डी०सी०, देहरादून को ई-मेल (admn soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु। 5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / प्रभारी वेतन अनुभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु। 6. गार्ड फाईल /फाईल : 4-F-12 / 4-F-1(MACP) संबंधित कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल। | } | ई-मेल द्वारा |
|--|---|--------------|